Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2024 = 8.153
https://www.srjis.com/issues_data/236
Peer Reviewed & Refereed Journal, JULY-AUG 2024, Vol- 13/84

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिन्तन एवं भारत में राजनीतिक परिवर्तन

डॉ. मनोज कुमार

राजनीतिशास्त्र विभाग, नारायण पी.जी. कॉलेज, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) उ0 प्र0

Paper Received On: 20 July 2024

Peer Reviewed On: 24 August 2024

Published On: 01 September 2024

Abstract

भारतीय नवजागरण से लेकर भारत को मिली स्वीधीनता तक जहां हम पश्चिमी संस्कृति और प्रभुता से अपना समन्वय स्थापित कर रहे थे, वहीं हम आत्मावलोकन की प्रक्रिया के अन्तर्गत अतीत के पुनरावलोकन और परिष्कार से जुड़े थे। भारतीय नवजागरण के दौर से ही समाज सुधार के अन्तर्गत दलित चेतना का नवोन्मेष दिखाई देने लगा था। धार्मिक सहिष्णुता, वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ ही जाति–पाँति के विरोध का शंखनाद भारतीय इतिहास में भगवान बुद्ध के बाद मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन में ध्वनित हुआ। इसके बाद ये समतावादी स्वर नवजागरण में राज मोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, केशवचन्द सेन, महादेव गोविन्द रानाडे आदि में दिखाई दिये। दलितोत्थान और दलित चेतना की नई मीमांसा जयोतिबा फुले, महात्मा गांधी और डॉ0 भीमराव रामजी अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत हुई। बीसवीं सदी के भारतीय राजनीतिक और सामाजिक चिंतन पर गांधी, अम्बेडकर और लोहिया का व्यापक प्रभाव रहा है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर इनमें नवयुग की आचार संहिता रचने वाले स्मृतिकार और नवमनु के रूप में तथा एक क्रांतिचेतना के विचारक के रूप में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाते हैं।

परिभाषायें: राजनैतिक चिन्तन, राजनैतिक परिवर्तन, दलितोत्थान, समतावाद।

तथ्य विश्लेषण एवं निर्वचनः

डॉ. अम्बेडकर का लक्ष्य भारत के दलित वर्गो के लिए समानता की स्थिति प्राप्त करना था और राजनीतिक चिन्तन तथा व्यवहार में विश्व स्तर पर समानता की लड़ाई के सबसे प्रमुख योद्धा कार्ल मार्क्स और उनका मार्क्सवादी चिन्तन है। अम्बेडकर ने मार्क्सवाद का अध्ययन किया था और वे उससे भी प्रभावित हुए थे, लेकिन अम्बेडकर का मार्ग कार्ल मार्क्स और उनकी विचारधारा से भिन्न है तथा उन्होंने निम्न बातों के आधार पर कार्ल

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

मार्क्स से असहमति व्यक्त करते हुए मार्क्सवादी चिन्तन को अस्वीकार कर दिया है।

मधु लिमये लिखते हैं– 'अम्बेडकर का सारा जोर जाति के विनाश पर था। जिसके बिना न वर्ग का निर्माण हो सकता है न वर्ग संघर्ष।' डॉ0 अम्बेडकर मानते हैं कि कम्युनिज्म सर्वहारा की मुक्ति का सिद्धान्त है और भारत में दलित जातियां ही सर्वहारा वर्ग हैं। जहां पश्चिमी सर्वहारा वर्ग औद्योगिकी क्रांति से उपजा है वहीं भारतीय **'सर्वहारा गरीब श्रमजीवी वर्ग'** वर्ण व्यवस्था के गर्भ से पैदा हुआ है। इस देश में वर्ण व्यवस्था के अस्तित्व में आते ही सर्वहारा वर्ग अस्तित्व में आ गया। यह वर्ग जन्मना सर्वहारा और औद्योगिक क्रांति की उपज नहीं है। **यही तथ्य डॉ0 शर्मा 'भारतीय लोक जागरण और प्रगतिशील साहित्य' पुस्तक में स्वीकार करते हैं कि ''मार्क्सवाद की नई सामाजिक व्यवस्था उद्योगों में निजी स्वामित्व का उन्मूलन चाहती है, डॉ0 अम्बेडकर की इससे सहमति है। डॉ0 अम्बेडकर मानते हैं कि भारत में निजी स्वामित्व मनु की न्याय व्यवस्था का अंग है, जिसे धर्म का रूप दे दिया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूंजी का केन्द्रीकरण हिन्दू अर्थव्यवस्था की देन है जो कि वर्णव्यवस्था के अधीन है।'' 25 नवम्बर, 1948 को संविधान के तीसरे वाचन में उन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी अवधारणा को स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करते हुए भविष्य के प्रति भी राष्ट्र को चेतावनी दी है, वे कहते हैं– यदि हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक, आर्थिक, ध्येय, वैध मार्ग से प्राप्त करना चाहिये। अन्य हिंसात्मक मार्ग से नहीं।**

डॉ0 अम्बेडकर ग्राम पंचायतों के भी विरूद्ध थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों अथवा स्थानीय निकायों में सामान्यतौर पर स्थानीय प्रभुत्वशाली लोगों का ही वर्चस्व होता है जो प्रायः सवर्ण उच्च या प्रभावशाली जाति के होते हैं। वे अपनी जातियों का पक्ष लेते हैं। दलित जातियों के शोषण व उत्पीड़न में ही विश्वास रखते हैं इसकी शक्ति और प्रभाव को देखते हुए स्थानीय आधार पर उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही हो पाना कठिन है। इसलिये जब कभी हजारों साल तक गुलाम रहने के बावजूद भारतीय अपने सामाजिक–सांस्कृतिक अस्तित्व को बनाये रखने में कामयाब हो सके इस सम्बन्ध में ग्राम और ग्राम पंचायतों की भूमिका को महत्व दिया जाता है तो अम्बेडकर इससे अपनी असहमति दर्शाते हैं। **संविधान सभा में इस विषय**

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पर चर्चा के दौरान डॉ0 अम्बेडकर (1980बः 107) ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सभी उत्थान और पतन में भारत में ग्राम पंचायत बनी रही, यह एक सच्चाई हो सकती है किन्तु जैसे तैसे बने रहने का कोई अर्थ नहीं है। प्रश्न यह है कि वे किस स्तर पर बनी रहीं। उत्तर साफ है कि बहुत ही निम्न धरातल पर मेरा तो मत यह है कि ग्राम पंचायतें भारत के विनाश का कारण बनी है मुझे प्रसन्नता है कि संविधान के प्रारूप में गांव को तिलांजलि दे दी गयी है और उसके स्थान पर व्यक्ति को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है।

ग्राम पंचायत के प्रति डॉ0 अम्बेडकर के नकारात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मधु लिमये (1990:73) का कहना है कि गांव जाति प्रणाली, अत्याचार और शोषण का प्रतिरूप हैं। इसलिये उनहें ग्राम पंचायतों पर भरोसा नहीं था और वे इस संस्था के विरूद्ध थे। वे जाति, धर्म और लिंग भेद को गिराकर सभी मनुष्यों को समान महत्व दिये जाने के सिद्धान्त के आधार पर एक नई समाज व्यवस्था का ढांचा खड़ा करना चाहते थे। यही वजह थी जिससे कि उन्होंने ग्राम पंचायत को अन्य स्थानीय निकायों के साथ नवीं अनुसूची में धकेल दिया और उन्हें राज्यों के विधानमण्डलों के अधीन रखा। डॉ0 अम्बेडकर (1989:26) ने ग्राम गणराज्य की धारणा को अलोकतांत्रिक निरूपित किया। उनका कहना था कि भारतीय ग्राम गणराज्य में लोकतंत्र के लिये कोई स्थान नहीं है, समानता के लिये कोई जगह नहीं है, स्वतंत्रता के लिये कोई स्थान नहीं है और भ्रातृत्व के लिये कोई जगह नहीं है। भारतीय ग्राम, गणराज्य की धारणा को पूर्णरूप से नकारता हैं यदि गाँव एक गणराज्य है तो यह स्पृश्यों द्वारा स्पृश्यों के लिये स्पृश्यों का गणराज्य है। यह वस्तुतः अछूतों पर हिन्दुओं का साम्राज्य है। यह एक प्रकार से हिन्दुओं का उपनिवेशवाद है जिसकी रचना हिन्दुओं द्वारा अछूतों के शोषण के लिये की गयी है। इसमें अछूतों के लिये कोई अधिकार नहीं है। वे केवल उनके आदेशों के अनुपालन और सेवा के लिये हैं। या तेा वे उनकी सेवाकर उनके कृपा पात्र बने रहें अथवा मर जायें। उन्हें कोई अधिकार इसलिये नहीं है कि वे इसके बाहर हैं ।

अशिक्षा, अज्ञानता, गरीबी, शोषण, जागरूकता की कमी आदि के कारण अनुसूचित वर्ग अपने को पिछड़ा महसूस कर रहा है। समाज में परिवर्तन हो रहा है, दलित वर्ग शक्ति सम्पन्न हो रहे हैं लेकिन मन्दगति

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

से। इसलिए डॉ. अम्बेडकर के कथन **''शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो''** सिद्धान्त का पालन करना दलित वर्ग के सशक्त बनने के लिए अति आवश्यक है क्योंकि दलितों द्वारा शिक्षा के माध्यम से अपना विकास कर समाज के सभी क्षेत्रों में प्रवेश किया जा सकता है; संगठन के रूप में पंचायत राज संस्थाएं एक साधन है ही; और इन संस्थाओं के माध्यम से दलित वर्ग आज भी राजनैतिक सशक्तिकरण के लिए संघर्षरत है।[2] संविधान के 73वें संशोधन के डॉ. अम्बेडकर के वर्ष 1932 के ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित विचारों को पंचायत राज संस्थाओं ने मूर्त रूप प्रदान किया है। पंचायत राज संस्थाओं में दलित वर्ग की भागीदारी या उनके हाथों में सत्ता आने से उनकी समाज के हर क्षेत्रों की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। वैसे हम देखें तो **''73वाँ संविधान संशोधन'' एक राजनैतिक परिवर्तन है। लेकिन इस राजनैतिक परिवर्तन ने राजनैतिक शक्ति के साथ–साथ दलितों की सामाजिक स्थिति को भी सुधारा है।**[3] दलितोत्थान; वर्तमान समय की आवश्यकता है, तभी राष्ट्र विकासोन्मुखी मार्ग पर गतिमान हो सकेगा। राजनैतिक दलों व राजनेताओं को दलितों पर होने वाले अत्याचारों को राजनैतिक रंग देकर अपने निजी या दलीय स्वार्थो की संकीर्ण प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाना भी अत्यन्त आवश्यक है। समानता के ब्यवहार को महत्ता प्रदान करनी होगी क्योंकि दलितों को सामाजिक न्याय प्रदान किए बिना दलितों को राजनीतिक रूप में सशक्त करना असम्भव है।[4] **आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व संविधान के 73वें संविधान द्वारा डॉ. अम्बेडकर की 1932 में बॉम्बे लैजिस्लेटिव डिबेट्स में दलितों के लिए पंचायतों में विशेष प्रतिनिधित्व की बात को स्वीकार करते हुए संविधान में भाग (नौ) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें अनुच्छेद 243(डी) द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं को पंचायतों के सभी स्तरों (ग्राम, ब्लॉक, जिला) पर एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा राज्यों में पंचायत राज ब्यवस्था को अपनाया गया है; और पंचायत राज अधिनियम का पालन किया जा रहा है, जिससे दलित राजनैतिक सशक्तिकरण को दिशा मिली है।**[5] **आगे आपने लिखा है कि वर्तमान सामाजिक ब्यवस्था के परिवर्तन में पंचायतीराज एक अहम भूमिका निभा रही है। ब्यवस्था के लागू होने के पश्चात् से समाज के कमजोर वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं में**

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्थान मिला है जिससे समाज में इनकी प्रस्थिति बेहतर हुई है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ जो अभी तक समाज के प्रभुत्व वर्ग के लोग ले रहे थे, लेकिन अब इन कार्यक्रमों का लाभ आज समाज के कमजोर वर्गों को मिल रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है।

दलित वर्ग की भागीदारी से स्थानीय राजनीति में इस वर्ग का प्रभाव बढ़ा है। समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता आदि जैसी सामाजिक कुरीतियाँ समाप्त हो रही हैं। निर्णय की प्रक्रिया में दलित वर्ग की सक्रिय भागीदारी हो रही है जिससे इस वर्ग को शासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। जो वर्ग अभी तक समाज में दबा, कुचला हुआ पड़ा था उसमें काफी राजनैतिक चेतना आयी है। और इस वर्ग के लोग अब अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसमें केन्द्र तथा राज्य की सरकारें दलित वर्गों को सशक्त बनाने के लिए नयी–नयी योजनाएं बना रही हैं ताकि इस वर्ग का चहुँमुखी विकास हो सके।[6] **अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने दलितों की स्थिति को सभी क्षेत्रों में मजबूत बनाने के लिए ''दलित–दस्तावेज'' की घोषणा की; और इस पर अमल करने के लिए 500 करोड़ रूपए आवंटित किए। यह भी एक प्रकार का राजनैतिक–सामाजिक परिवर्तन है क्योंकि इस घोषणा पत्र में तमाम योजनाएं पंचायत राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित की जायेंगी तथा कुछ वर्तमान में की जा रही हैं।**[7]

संविधान के 73वें संशोधन द्वारा संविधान में भाग (नौ) और ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी गयी जिसमें अनुच्छेद 243 द्वारा पंचायतों के बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया। संविधान के 73वें संशोधन के उद्देश्य और कारणों में यह बताया गया कि यद्यपि पंचायत का अस्तित्व भारत में काफी पूर्व से ही है, परन्तु कुछ कारणों से जैसे नियमित चुनाव का अभाव, विलंबित सत्र, आर्थिक स्त्रोतों का अभाव तथा कमजोर या दलित वर्गों और महिलाओं के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण पंचायतें उत्तरदायी जनता के बीच सही स्थान एवं महत्व नहीं बना पायी हैं। अतः इसी आवश्यकता एवं उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर संविधान में 73वाँ संशोधन कर उपरोक्त कही गयी बातों को संविधान में समाविष्ट किया गया; और सर्वप्रथम समाज के कमजोर अथवा दलित वर्ग एवं महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायीय राज व्यवस्था के अनुच्छेद–243(डी) के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार सभी

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राज्यों ने 24 अप्रैल 1993 को पंचायतीराज अधिनियम बन जाने के एक वर्ष के बाद अपने–अपने यहाँ अधिनियम बनाकर लागू किया जो सतत क्रियान्वित है।

निष्कर्षः नयी पंचायतीराज व्यवस्था ने समाज के दबे कुचले वर्गों को अपनी शक्ति पहचानने का मौका दिया है जिससे देखने में आया है कि इस वर्ग की महिला प्रतिनिधियों को अपने परिवार के लोगों से अधिक सहयोग मिल रहा है। कमजोर वर्ग की महिलाएं आज पूरी क्षमता के साथ अपनी सक्रिय भागीदारी पंचायतीराज संस्थाओं में निभा रही हैं। **दलित वर्ग के सशक्तिकरण में पंचायतीराज व्यवस्था एक मील का पत्थर साबित हुई है।** निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि दलितों के सन्दर्भो में –

- **सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है :** दलितों की सामाजिक प्रतिष्ठा में काफी बदलाव आया है क्योंकि पंचायतीराज संस्थाओं में प्रतिनिधि बनने के बाद से उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ है। साथ ही प्रतिनिधियों के अलावा दलित वर्ग के लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है क्योंकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का लाभ अब इन दलित लोगों तक पहुँच रहा है। जिससे इनका सामाजिक तथा आर्थिक स्तर काफी हद तक सुधरा है। आज दलित वर्ग के लोगों को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है।
- **शोषण के विरूद्ध जागृति आयी है :** दलितों में पंचायतीराज व्यवस्था के माध्यम से जागरूकता आयी है इसीलिए यह वर्ग शोषण के विरूद्ध अपनी आवाज उठाते हैं। दलित वर्ग के लोग अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाकर इसको समाप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।
- **राजनैतिक चेतना आयी है :** वर्तमान समय में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से दलित वर्ग के प्रतिनिधि आरक्षित पद के अलावा सामान्य पद पर भी विजयी हुए हैं। साथ ही अब यह वर्ग अपना महत्व समझ रहा है; और इसी के अनुसार अपने राजनैतिक बल को दिशा दे रहा है। इससे सुस्पष्ट है कि दलित वर्ग में राजनैतिक चेतना आयी है।

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- **निर्णय क्षमता बढ़ी है :** दलित वर्ग के प्रतिनिधि या लोग अब ग्राम सभा की बैठकों या किसी भी पंचायत राज की बैठकों में अपने निर्णय स्वयं लेते हैं; न कि दूसरों के निर्णयों में केवल 'हाँ में हाँ' मिलाते हैं। इस प्रकार से यह वर्ग अपने समाज के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। सुस्पष्ट है कि दलित वर्ग में निर्णय क्षमता बढ़ी है।

दलित वर्ग के सशक्तिकरण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के राजनैतिक चिन्तन ने सामाजिक परिवर्तन लाने में पंचायती राज व्यवस्था ने प्रभावी तथा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन केवल संविधान में अधिकारों की व्यवस्था होने से दलित सशक्त हो जायेगें; यह समझना ठीक नहीं है। इसलिए इस वर्ग के सशक्तिकरण में समाज तथा संविधान की व्यवस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान हैं क्योंकि सामाजिक समानता के बिना संवैधानिक समानता अधूरी है।

संदर्भ :

सिंह आर.जी. ; (2002)अम्बेडकर विमर्श एवं सामाजिक परिवर्तन, प्रकाशित म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ 35

महेश्वरी एस.आर. ; (2004)भारत में स्थानीय स्व–शासन, दीप एण्ड दीप सन्स पब्लिकेसन्स, नई दिल्ली, पृष्ठ 82–83

वाली सुरेश राम ; (2006)नवीन पंचायत राज अधिनियम, डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन की प्रासंगिकता के सन्दर्भ में, बहुजन कल्याण प्रकाशन (प्रा0लिमि0) लखनऊ, पृष्ठ–110–111

रामचन्द्रन पी. ; (2015)पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इण्डिया, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, पृष्ठ 202

सिंह रूपेश कुमार ; (2016)पंचायत राज और सामाजिक परिवर्तन : डॉ. अम्बेडकर के विचारों के विशेष सन्दर्भ में, अम्बेडकर पीठ प्रकाशन, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.), पृष्ठ– 153

सिंह रूपेश कुमार ; (2016)पूर्वोक्त, पृष्ठाँकन 154–155

Copyright © 2024, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies